न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 106/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सेणकी जोजे पत्नी स्वर्गीय खुमाराम जाति माली, निवासी— हायर सैकेण्डरी स्कूल रोड़, सोजतसिटी तहसील— सोजत, जिला— पाली(राज0)		01. हेमीदेवी पत्नी कानाराम जाति माली निवासी— सोजतसिटी, तहसील— सोजत, जिला— पाली(राज0) 02. कैलाश पुत्र कानाराम जाति माली निवासी—' पुलिस थाना रोड़, रामदेवजी के मन्दिर के पास, चांदपोल गेट के अंदर, सोजतसिटी तहसील— सोजत, जिला— पाली(राज0) 03. किशनलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी— पुलिस थाना रोड़, रामदेवजी के मन्दिर के पास, चांदपोल गेट के अंदर, सोजतसिटी तहसील— सोजत, जिला— पाली(राज0) 04. तहसीलदार (भमि धारक) सोजतसिटी तहसील सोजत, , जिला— पाली(राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

01. श्री धर्मीचंद देवासी तथा श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री हीरालाल कांठेर तथा श्री युगलकिशोर अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांकः— 14/9/22

अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के प्रथम रिवाईज्ड सेटलमेंट के पुराने खसरा खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 04 बीघा 4 बिस्वा किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि पट्टा बापी गांव सोजत चक द्वितीय परगना सोजत रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड़ का दिनांक 06.12.1941 के भू—प्रबंधक विभाग जोधपुर द्वारा जारी राजस्व बापी पट्टा अनुसार उक्त भूमि सालग बेटो पेमारो जात रा माली सोजत की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित थी। जिस कृषि भूमि को सालग द्वारा लुम्बा बेटा छोगा रो जात रा माली पालरिया व खुबा बेटा भाना जात रो माली निवासी सोजतसिटी को बहिस्सा बराबर—बराबर बेचान की। जिससे उक्त कृषि भुमि में जरिए मिसल संख्या 149 दिनपांक 30.03.1950 के जरिए लुम्बा बेटा छोगा व खुमा बेटा भाना खातेदार इन्द्राज किया गया। जो इन्द्राज तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत सुदा है। तत्पश्चात लुम्बा बेटा छोगा माली ने उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि में अपने रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18.12.1967 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिसके आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार इन्द्राज किया गया अर्थात उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति स्वर्गीय खुमाराम जी का 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज हुआ। उपरोक्त कृषि भूमि के वक्त सेटलमेंट नये खसरा नंबर 1268/3553 कायम किए गए। जिसमें द्वितीय सेटलमेंट में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उपरोक्त भूमि के नए खसरा नंबर 1268/3553 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर 0.6400 हैक्टर भूमि त्रुटिवश दर्ज कर दी गई। तब से उक्त कृषि भमि के राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 1268/3553 रकबा 0.6400 हैक्टर विधि विरूद्ध दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से प्रार्थीया द्वारा 0.6400 हैक्टर भूमि को अपने चारों पुत्रों को जरिए रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांकत 06.02.2019 को बक्सीस कर दिया, जिससे अब उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का 4 बीघा 4 बिस्वा में 04 बिस्वा भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की शेष रही, जो सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के प्रिंसिपल धन्नाराम वल्द टीकमराम जाति माली, घनश्यामलाल, पुखराज माली निवासी— खारड़ी

तत्पश्चात कानाराम पुत्र धन्नाराम माली तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 के नाम त्रुटिवश इन्द्राज कर दी, जो इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकारों के विपरित होने से शून्य व अवैध है।

वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सोजत चक द्वितीय के पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि पुराने रेकार्ड अनुसार प्रार्थीया के पति स्वर्गीय खुमाराम व लुम्बा बेटा छोगा के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित थी। जो कि राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी संवत 2026 से 2029 से बखूबी स्पष्ट है। जिस जमाबंदी अनुसार भी पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 का रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा दर्ज सुदा था। प्रार्थीया उक्त पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 4 बिस्वा भमि के एकमात्र खातेदार मालिक रही। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के चिपते ही सोजत चक द्वितीय के पुराने खसरा नंबर 1080/1/2 रकबा 1 बीघा पड़त भूमि दर्ज सुदा थी, जो कि जोधपुर गर्वमेंट अनुसार पुराने खाता नंबर 779 पड़त दर्ज थी। जिसका रकबा 1 बीघा उक्त खतौनी अनुसार इन्द्राज सुदा थी, जो कि जोधपुर गर्वमेंट अनुसार पुराने खाता नंबर 779 पड़त दर्ज थी। जिसका रकबा 1 बीघा उक्त खतौनी अनुसार इन्द्राज सुदा थी। तत्पश्चात उक्त भूमि को धन्ना वल्द टीकम जाति माली को आवंटित की गई तथा आवंटन के आधार पर राजस्व रेकार्ड में धन्ना वल्द टीकम को बहैसियत खातेदार इन्द्राज किया गया। उपरोक्त इन्द्राज के आधार पर जरिए नमान्तरकरण के उक्ट खसरा नंबर 1080/1/2 रकबा 1 बीघा जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 अनुसार धन्ना वल्द टीकम इन्द्राज किया गया। पुराने खसरा नंबर 1080/1/2 का रकबा 1 बीघा ही इन्द्राज सुदा था। लेकिन द्वितीय सेटलमेंट में सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने अधिकारियों से परे जाते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त पुराने खसरा नंबर 1080/1/2 का रकबा 0.1600 हैक्टर के स्थान पर 0.2200 हैक्टर भूमि इन्द्राज कर दी। उक्त पुराने खसरा नंबर के नए खसरा नंबर 1267 कायम किए गए, जिसमें सेटलमेंट अधिकरियों द्वारा पुराने खसरा नंबर व रकबे को परिवर्तित करते हुए प्रार्थीया के 4 बिस्वा खातेदारी भमि को सम्मिलित करते हुए प्रार्थीया के कहे हिस्से की भूमि को विधि विरूद्ध रूप से उक्त खसरा नंबर 1267 में सम्मिलित कर 0.0600 हैक्टर भूमि को विधि विरूद्ध रूप से धन्ना वल्ट टीकम के नाम इन्द्राज कर दिया। आज से करीब 5–6 साल पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1267 के संबंध में प्रार्थीया के हक हिससे की भूमि को हडप करने की नियत से उप खण्ड न्यायालय में एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 55/2016 हेमीदेवी बनाम गणपतलाल व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थर गढ़ढी का गलत व मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया, जिस प्रकरण में दिनांक 31.03.2021 को न्यायालल हाजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के संबंध में पैमाईश कर सीमांकन/पत्थर गढढी के आदेश पारित किए गए। जब तक प्रार्थीया को उक्त त्रुटि के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही, लेकिन तत्पश्चात उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि को नए दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि में सम्मिलित होने बाबत कहा गया तथा मौके पर उक्त बात को लेकर उक्त भूमि के रकबा कम ज्यादा होने की स्थिति में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्रों द्वारा दिनांक 22.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करवाकर पुनः राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को आपसी सहमति से दुरूस्त करवाने का कहने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने साफ इन्कार कर दिया और अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रार्थीया व उसके पुत्रों को एलानियां कहने लगा कि हम तो सेटलमेंट अधिकारियों की त्रुटि को नहीं मानते हैं, अप्रार्थी संख्या 01 के नाम उक्त भमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा अब उक्त चार बिस्वा भूमि तुम्हारे कब्जा काश्त की हुई तो क्या हुआ, अप्रार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज सुदा है, जिसके आधार पर हम तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को हड़प कर अवैध कब्जा कर देंगे, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, न ही अप्रार्थी संख्या 01 को अपने प्रिंसिपल खातेदारान से 0.1600 हैक्टर भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इसलिए प्रार्थीया वादस्थ कृषि भमि के पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 4 बीघा 4 बीस्वा भूमि अनुवसार नए खसरा नंबर 1268/3553 की भूमि में कम दर्ज किए गए 4 बिस्वा भमि जो कि उनके पूर्व के

खातेदारान तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में राजस्व अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दी गई, जिसको प्रार्थीया सेटलमेंट अधिकरियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दी गई, जिसको प्रार्थीया सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि के आधार पर अपने पूर्व के खातेदारान से वैध मालिकाना हक के दस्तावेज के अभाव में कब्जे के अभाव में प्रार्थीया के हक हिस्से की भमि को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के आधार पर हड़प करने की नियत रखते है, जबकि आज भी प्रार्थीया का मौके पर उक्त 4 बिस्वा भमि को बहैसियत खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 का आज भी 0.1600 हैक्टर भमि पर ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उक्त राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीया के 4 बिस्व हक हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा कर हड़प करने पर उतारू है तथा वादस्थ भमि के संबंध में हुई त्रुटि का फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण रहन वसीयत इत्यादि करने पर उतारू है तथा राजस्व रेकार्ड में त्रुटि का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीया के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करने पर उतारू है, जिसका कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीया अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की ककृषि भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी, जिसका मूल्याकंन कतई रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य करने से रोके जाने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय संगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक 2 के पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 0.6400 है0 बक्सीस करने से शेष बची 04 बिस्वा जमीन जिसके नये खसरा नंबर 1268/3553 की भूमि के 04 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं किये जाने न ही किसी अन्य से किये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 01 राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर खसरा नंबर 1267 का अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिक्ता श्री हीरालाल कांठेर व श्री युगलकिशोर ने वकालतनामा मय जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीया ने बिल्कुल ही गलत, मनगढ़त एवं मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर न्यायालय हाजा में मूल वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो वाद खारिज होने योग्य है, जिसमें प्रार्थीया को कतई सफलता नहीं मिलेगी। सरहद मौजा सरहद सोजत चक द्वितीय के प्रथम रिवाईज्ट सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 1080/1/1 रकबा 4 बिघा 4 बिस्वा किस्म मेहन्दी की कृषि भमि का पट्टा बापी गांव सोजत द्वितीय परगना सोजत रियातस दरबार राजस्थान मारवाड़ का दिनांक 06.12.1941 के भु–प्रबन्धक विभाग जोधपुर द्वारा सालग बेटा मेपा जात रा माली सोजत की खातेदारी कस्बा काश्त आई स्थित थी जिसे प्रार्थीया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सबूत करें तथा सालग ने तुखा बेटा छोगा जातरा माली पालरिया व खुमा बेटा माना जातरा माली निवासी सोजत सिटी को बराबर–बराबर हिस्सा मिसल संख्या 05/1940 दिनांक 30.03.1950 को इन्द्राज करवाया हो तो भी प्रार्थीया उसे दस्तावेजी साक्ष्य से सबुत करें। प्रार्थीया का यह लिखना गलत है कि नए खसरा नम्बर 1268/3553 का रकबा 4 बिघा 4 बिस्वा के स्थान पर रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि त्रुटिपूर्ण दर्ज की हो। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर पुराने 1080/1/2 जिसके नए खसरा नम्बर 1267 को प्रार्थना पत्र में वादस्थ कृषि भूमि से सम्बोधित करने का अधिकार नहीं है। उक्त कृषि जोत की भूमि अप्रार्थीगण की स्वयं की खोतदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। प्रार्थीया ने कब अपने चारों पुत्रों को बक्सीसनामा उक्त खसरा नम्बर 1080/1/1 का किया जानकारी नहीं है। यदि बक्सीसनामा किया है तो उसमें शेष 4 बिस्वा भमि प्रार्थीया के पास शेष रहने का कहीं अंकन नहीं किया है। जब कोई शेष भूमि प्रार्थीया के पास रही

ही नहीं हो 04 बिस्वा भूमि का वर्तमान में इन्द्राज हीं नहीं है। प्रार्थीया का यह लिखना बडा हास्यपद व फिवल्स है कि 04 बिस्वा जमीन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपार्थी संख्या 01 के प्रिन्सिपल विक्रेता धनाराम, घनश्यामलाल, पुखराज तथा उसके बाद कानाराम माली तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 के नाम त्रुटिवश इन्द्राज करने का कथन सर्वथा गलत है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त सभी पक्षकारान द्वारा किए गए बेचान रजिस्ट्रीयों को निरस्त करवाने की घोषणा करवाए बगैर मूल वाद व उक्त प्रार्थना पत्र लाने का कतई अधिकार नहीं है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र बिना घोषणा व निरस्त करवाने बेचान रजिस्ट्रीयां चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 गलत फिवल्स वेक्सेसियस, झुठा होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी का यह लिखना गलत है कि खसरा नम्बर 1080/1/1 रकबा 04 बिघा 04 बिस्वा भमि प्रार्थीया के पति खुमाराम व लुम्बा बेटा छोगा के नाम खातेदारी कब्जा काश्त सुदा हो। प्रार्थीनी स्वयं साबित करे कि लुम्बा बेटा छोगा ने अपना 1/2 हिस्सा प्रार्थीनी के पति को बेचान किया हो। प्रार्थीनी का खसरा नम्बर नए 1268/3553 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म मेहन्दी जो प्रार्थीनी की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा है। उक्त खसरा नम्बर के चिपते ही खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म मेहन्दी अप्रार्थी 1 हेमीदेवी पत्नी कानाराम की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा है। प्रार्थीनी का यह लिखना गलत है कि पुराने खसरा नम्बर 1080/1/2 रकबा 1 बिघा पड़त भमि दर्ज हो जबकि वक्त सेटलमेन्ट व खसरा परिवर्तनशील से बखूबी सबुत है कि खसरा नम्बर 1080/1/2 के नए खसरा नम्बर 1267 कायम हुए व उसका रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म मेहन्दी इन्द्राज है। उक्त भमि खसरा नम्बर नए 1267 रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म मेहन्दी अप्रार्थी संख्या 01 के पति कानाराम पुत्र धनाराम ने 41000/- रूपये रोकड़ देकर दिनांक 12.12.1997 को खरीद किया तब से लगातार कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का चला आ रहा है। प्रार्थीनी का यह लिखना कतई गलत है कि खसरा नंबर 1267 का रकबा 0.1600 है0 ही हो जबकि खसरा नंबर 1267 का रकबा 0.2200 है0 किस्म मेहन्दी आज भी राजस्व रेकर्ड में सही इन्द्राज है। प्रार्थीया का यह लिखना गलत है कि प्रार्थीया के खसरा नंबर की भूमि में रकबा कम कर अप्रार्थी के खसरा नंबर की भूमि में 0.0600 है0 अतिरिक्त जोड़ दिया हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि खसरा नंबर 1267 रकबा 0.2200 है0 की भूमि को अप्रार्थीगण के पिता/पति ने खरीद कर अपने नाम नामान्तरकरण करवाया व उनकी मृत्यु के बाद विरासत में खसरा नंबर 1267 की भूमि अप्रार्थीगण 01 से 03 की रही है। प्रार्थीया का यह लिखना गलत है कि सर्वप्रथम नये खसरा नंबर 1267 की भूमि का रकबा 0.1600 है0 ही हो जबकि प्रार्थीया के अब देरीना उक्त प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से तथा अप्रार्थीगण के पास वर्तमा में भूमि का रकबा कम होने पर उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एल आर एक्ट का पेश किया, जिसके राजस्व विविध प्रकरण 55/2016 बअनवा प्रार्थीया हेमी देवी बनाम अप्रार्थीगण गणपतलाल वगेरा पेश किया व माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2021 को प्रार्थीया के पक्ष में निर्णय कर देने व उक्त निर्णय की पालना नही कर देने के कारण उक्त झूठा व फ़िवन्स मूल वाद व उक्त प्रा0 पत्र प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध देरीना प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का यह लिखना गलत है कि सेटलमेंट अधिकारियो की त्रुटि के कारण रकबा खसरा नंबर 1267 का 0.0600 है0 अधिक दर्ज हुआ हो जबकि खसरा नंबर 1267 का रकबा 0.2200 है0 वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही चला आ रहा है। शेष पैरा गलत होने से अस्वीकार किया है। वादस्थ भूमि में द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्से की भूमि में 04 बिस्वा भूमि कम इन्द्राज करने की कोई जानकारी प्रार्थीया को नही है जबकि प्रार्थीया के किसी प्रकार की कोई भूमि 0.0400 है की कम हुई ही ही तो जाकारी प्राप्त करने पर उत्पन्न होना गलत व झूठ है। प्रार्थीया का यह लिखना सही है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के विरूद्ध प्रा0 पत्र बाबत् सीमांकन का प्रस्तुत किया जिसका आदेश दिनांक 55/2016 जिसका निर्णय दिनांक 31.03.2021 को हो चुका है। उक्त निर्णय आदेश की पालना नहीं हो इस कारण यह झूठा फिवन्स प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीया ने प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण की बेचान रजिस्ट्रीया शून्य करवाये वगेरा किसी प्रकार की घोषणा का मूल वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानून प्रस्तुत नहीं कर सकती। प्रार्थीया का प्रा0पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की भूमि को हड़प करना चाहते हो बल्कि अप्रार्थीगण के आदेशानुसार की जाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थीया किसी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का यह लिखना

सर्वथा गलत है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है, जबकि उक्त खसरा नंबर के चिपते ही खसरा नंबर 1267 रकबा 0.2200 है0 किस्म मेहन्दी अप्रार्थी संख्या 01 हेमी देवी पत्नि कानाराम की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा है। वक्त सेटलमेंट व खसरा नंबर 1080/1/2 के नये खसरा नंबर 1267 कायम हुए व उसका रकबा 0.2200 है0 किस्म मेहन्दी इन्द्राज है। प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है न ही प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है, न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। जबकि अप्रार्थी को यदि भूमि कम मिलती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीया को होगी, जिसका आंकलन कदापि रूपयों पैसो में नहीं आंका जा सकेगा।

बहस प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक 2 के पुराने खसरा नंबर 1080/1/1 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि को दौराने सेटलमेन्ट नवीन खसरा नंबर 1268/3553 बने जिसमें रकबा बिस्वा कम दर्ज कर 0.6400 है0 दर्ज कर दिया गया। उक्म कम दर्ज रकबा को अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के खसरा संख्या 1267 में अधिक दर्ज कर रकबा 0.2200 हैक्टर दर्ज कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 वर्तमान अधिक दर्ज भूमि को बैचान करने व मौके पर कब्जा करने पर उतारू है। जिन्है नही रोका गया तो वाद बहुलियता बढेगी। अधिक्ता अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है न ही प्रार्थीया के पक्ष में किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है, न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। जबकि अप्रार्थी को यदि भूमि कम मिलती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीया को होगी, जिसका आंकलन कदापि रूपयों पैसो में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीया का प्रा0 पत्र सव्यय खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। चूकि प्रथम दृष्टया सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन बने खसरा नम्बर 1268/3553 में 04 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना प्रतित होता है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला/सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का इस आशय का स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस अमर की सादिर की जाति है कि सरहद मौजा सोजत चक 2 के खसरा नम्बर 1267 की भूमि रकबा 0.2200 हैक्टर भूमि का वाद निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 01 बैचान नही करे तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1268/3553 में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 14/3/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)